(ii) Two years' experience on computerisation of a Library or a Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute.

[Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.]

Note: For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
(12)	(13)		
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up the post.		
	[F. No. A-12018/11/2009-Estt. I] GEORGE Y., Under Secy.		

कृषि मंत्रालय

(पश्, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 237.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मीन उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान (सी.आई.सी.इ.एफ.) (प्रशासिनक अधिकारी) भर्ती नियम, 2005 और केंद्रीय मीन उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान (लेखाकार) भर्ती नियम, 2006 से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशु पालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग के अधीन केंद्रीय मीन उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर में प्रशासिनक अधिकारी और लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :—

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मीन उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, (प्रशासनिक अधिकारी और लेखाकार) भर्ती नियम, 2011 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे, जो इससे संलग्न उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछडे वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रशासनिक अधिकारी	1* (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवा में पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
	(7)			(8)	(9)
	ताप्राप्त विश्वविद्यालय		लागृ	् नहीं होता	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष
` '	कारी कार्यालय या वि और स्थापना कार्य का				

(7)

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

सम्मिश्रत पद्धति – (प्रतिनियुक्ति–सह–प्रोन्नति) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (11)

सम्मिश्रत पद्धति - (प्रतिनियुक्ति-सह-प्रोन्निति):

- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी:—
- (क)(i) जो मूल काडर∕विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु. सिंहत या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है: और
- (ख) जो स्तंभ (8) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

टिप्पण: ऐसे विभागीय लेखाकार पर भी, जिन्होंने वेतन बैंड-2,9300-34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु. सिंहत के वेतनमान में, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है, बाहरी व्यक्तियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा और उस पद पर नियुक्ति के लिए उसके चयन किए जाने की दशा में, उक्त पद प्रोन्नित के द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रितिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, तारीख 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से

पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाय इसके की जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस फायदे का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जो बिना किसी उन्नयन के ग्रेड वेतन या वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्र	प्रोन्नति समिति है तो उसव	की संरचन <u>ा</u>	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेव आयोग से परामर्श किया जाएगा (13)		
	(12)				
 निदेशक केंद्र संस्थान, बंग उप निदेशक उद्योग, तटीय उप निदेशक 	नित समिति (पुष्टिकर) द्रीय मीन उद्योग, तटीय इं गलौर (सिविल इंजीनियरी), व य इंजीनियरी संस्थान, बंग (आर्थिक), केंद्रीय मीन तयरी संस्थान, बंगलौर	जीनियरी —अध्यक्ष हेंद्रीय मीन —सदस्य लौर		•	क्ति के लिए प्रत्येक अवसर पर संघ से परामर्श करना आवश्यक है ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. लेखाकार	1* (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता
(7)		(8)		(9)	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		दो वर्ष	
	(10)		(11)		
	प्रोन्नति	प्रोन्नति :			

उच्च श्रेणी लिपिक-सह-स्टोर कीपर, जिसने 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु. में उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, तारीख 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाय इसके की जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस फायदे का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जो बिना किसी उन्नयन के ग्रेड वेतन या वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)(13)समह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित और पष्टिकरण संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-नहीं है। 1. निदेशक केंद्रीय मीन उद्योग, तटीय इंजीनियरी -अध्यक्ष संस्थान, बंगलौर 2. उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी), केंद्रीय मीन -सदस्य उद्योग, तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर 3. उप निदेशक (आर्थिक), केंद्रीय मीन उद्योग, -सदस्य तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर 4. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मीन उद्योग, -सदस्य तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर

> [फा. सं. 4-10/2010-सीपी/0601/एलडीसी/यूडीसी/डी(सीजी-आर)/2010] सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 12th August, 2011

- G.S.R. 237.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Administrative Officer) Recruitment Rules, 2005, and the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Accountant) Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer and Accountant in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Administrative Officer and Accountant) Recruitment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of the posts, their classification and pay band, grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3.** Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
 - **4. Disqualification.**—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Administrative Officer	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2 ₹9300— 34800 with Grade Pay of ₹4600	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Educational and other qualification required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(7)		(8)		(9)	
Essential: (i) Degree from a (ii) Two years' e	•	Adiminstrative,		applicable	Two years for direct recruits

(7)

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

Composite Method (Deputation plus Promotion) failing which by direct recruitment.

Composite Method (Deputation plus Promotion):

- 1. Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories:—
- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2, ₹9300—34800 with Grade Pay of ₹4200 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8).

Note: The Departmental Accountant in the Pay Band-2, ₹9300—34800 with Grade Pay of ₹4200 with five years' regualar service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

Note: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure

(11)based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. If a Departmental Promotion Committee exists, Circumstances in which Union Public Service what is its composition Commission is to be consulted in making recruitment (12)(13)**Departmental Promotion Committee (for** Consultation with Union Public Service Commission confirmation):is necessary for appointmet to the post on each 1. Director, Central Institute of Coastal —Chairman occasion. Engineering for Fishery, Bangalore 2. Deputy Director (Civil Engineering), -Member Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore 3. Deputy Director (Economist), Central -Member Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. Accountant 1* (2011) General Central Pay Band-2, Selection Not applicable ₹9300-*Subject Service, Group 'B', to variation Non-Gazetted, 34800 with dependent Ministerial Grade Pay on workload. of₹4200 (7)(8)(9)Not applicable Not applicable Two years (10)(11)**Promotion:** Promotion Upper Division Clerk-cum-Store Keeper in Pay Band-1,₹5200—20200 **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility

with Grade Pay of ₹ 2400 with ten years' regular service in the grade.

service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :— 1. Director, Central Institute of Coastal —Chairman	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
Engineering for Fishery, Bangalore 2. Deputy Director (Civil Engineering), —Member Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore	
3. Deputy Director (Economist), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member	
 Administrative Officer, Central Institute of —Member Coastal Engineering for Fishery, Bangalore 	

[F. No. 4-10/2010-Fy. Admn.] SUDEEPA KOHLI, Under Secy.